न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 48/2024

1. रजाक
2. आस मौहम्मद
3. इदरीश
4. असलूप — पिसरान बाघसिंह
5. हसन मौहम्मद
6. निजाम — पिसरान ईशाक
7. जमीला
8. सहूद
9. आरिफ — पिसरान इलियास
10. हनीफ
11. ताहिर
12. अरसद
13. मुस्ताक
14. अलीम — पिसरान लीला
15. रेशा
16. तसलीम

    इरसाद — पिसरान इस्लाम जातियान मेव निवासीयान ग्राम मुसेपुर तहसील कामाँ जिला डीग राज0

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील जुरहरा जिला डीग राजस्थान।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :— श्री अमित कुमार शर्मा वकील प्रार्थीगण।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

निर्णय

दिनांक :— 03/01/2025

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी तहसीलदार जुरहरा के इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 1 मिन/2.59 हैक्टर बांके ग्राम परेही तहसील जुरहरा में स्थित है। आराजी मुतदाविया प्रार्थीगण के पिता व दादा बाघ सिंह पुत्र काले खां जाति मेव निवासी मुसेपुर को अलॉट हुई थी बाघ सिंह की मृत्यु दिनांक 02/05/1990 को हो चुकी है। प्रार्थीगण नं0 1 लगायत 04 बाघ सिंह के पुत्र हैं, 05 व 06 बाघ सिंह के नाती है प्रार्थीगण संख्या 5 व 6 के पिता ईशाक की भी मृत्यु हो चुकी है प्रार्थीगण संख्या 7,8,9 मृत्तक बाघ सिंह के नाती है प्रार्थीगण 7,8,9 के पिता इलियास की भी मृत्यु हो चुकी है प्रार्थीगण 10 लगायत 14 मृत्तक बाघ सिंह के नाती है इनके पिता लीला की भी

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

मृत्यु हो चुकी है प्रार्थीगण संख्या 15 लगायत 17 मृत्तक बाघ सिंह के नाती है इनके पिता इस्लाम की भी मृत्यु हो चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के दिनांक 07/07/2011 के आदेशानुसार नामान्तकरण संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 मृत्तक बाघ सिंह के हक में स्वीकार किया गया था। जमाबन्दी सम्वत 2067 लगायत 2070 में बाघ सिंह के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 लगायत 2070 व नामान्तकरण संख्या 657 की प्रति पेश है। प्रार्थीगण के पिता/दादा मृत्तक बाघ सिंह को 2.59 हैक्टर भूमि ग्राम परेही के आराजी खसरा नम्बर 1 मिन में से अलॉट हुई थी किन्तु न्यायालय में मुकदमा होने के कारण आराजी मुतदाविया में कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 07/07/2011 के अनुसरण में बाघ सिंह पुत्र काले खाँ जाति मेव निवासी मुसेपुर के नाम आराजी मुतदाविया दर्ज स्वीकार होकर सम्वत 2067–2070 की जमाबंदी में लाल स्याही से दाखिल खारिज का नोट भी अंकित कर दिया गया था। उक्त नामान्तकरण का अमल मिसल बंदोबस्त में होना शेष था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 17/11/2011 द्वारा पुनः यथा स्थिति के आदेश पारित होने के कारण भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा कोई भी अमल नहीं किया गया था। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व खातेदारान के नामों का अंकन है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट पिटीशन अपने निर्णय दिनांक 08/05/2024 को खारिज की जा चुकी है आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी न्यायालय का स्थगन या स्टे नहीं है। प्रार्थीगण बाघ सिंह की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी के पास गये और विरासत का दाखिल खारिज दर्ज करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार जुरहरा से आदेश कराकर लाने को कहा प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार जुरहरा को भी दिया लेकिन उनके द्वारा कोई भी प्रभाव पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत दाखिल खारिज खोले जाने एवं नामान्तकरण संख्या 657 का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाने बाबत पेश किया जिसको माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार जुरहरा को जाँच हेतु भेज दिया गया। बाद जाँच न्यायालय श्रीमान द्वारा उचित न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रार्थीगण को आवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। उक्त अशुद्धि एवं दुरूस्ती का प्रकरण भू–प्रबन्धक विभाग से पूर्व का होने के कारण नामान्तकरण संख्या 657 का हाल जमाबन्दी में अमल माननीय न्यायालय के आदेश से ही किया जाना संभव है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 1 मिन /2.59 हैक्टर बांके ग्राम परेही पर मृत्तक बाघ सिंह पुत्र काले खां जाति मेव निवासी मुसेपुर तहसील कामाँ के वारिसान/प्रार्थीगण के नामों का अंकन नामान्तकरण संख्या 657 के अनुसार नये राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार जुरहरा को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जुरहरा द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी के संबंध में अपने पत्र क्रमांकः–रीडर/024/610 दिनांक 04.11.2024 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें नामान्तकरण संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 खसरा नम्बर 1 मिन/2.59 हैक्टर बांके ग्राम परेही तहसील जुरहरा का हाल जमाबन्दी में अमल हेतु आवेदन किया है जिनका बिन्दुबार विवरण निम्न प्रकार है मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के खाता संख्या 111 के

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज॰

अनुसार साविक आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 9.28 हैक्टर, रहमत पुत्र माले खां, हिम्मत, जुहरू पिसरान बहादुर, दीना, हारून पिसरान माले खां, नसरू मौहम्मद खां मुंशी पिसरान इस्माइल, इब्राहीम पुत्र टुंडल वगैराह एलोटी जाति मेव के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 27/07/2011 एवं श्रीमान तहसीलदार (भू0अ0) कामाँ के आदेश क्रमांक 11/3775 दिनांक 22/11/2011 की पालना में आराजी खसरा नम्बर 1/9.28 हैक्टर के भाग को खसरा नम्बर मिन 1 रकबा 2.59 हैक्टर पर नामान्तकरण संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 के द्वारा बाघ सिंह पुत्र काले खां कौम मेव सा0 मुसेपुर एलोटी के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। उक्त नामान्तकरण संख्या 657 का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2067–70 के खाता संख्या 111 में लाल स्याही से किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 17/11/2011 की पालना पर जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 111 पर लाल स्याही से स्थगन का आदेश अंकित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के प्रबन्ध विभाग द्वारा दिनांक 17/11/2011 से पूर्व कि स्थिति को बहाल रखा गया अर्थात मिसल बन्दोबस्ती में किसी प्रकार का अमल नहीं किया गया। नामान्तरण संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 9.28 हैक्टर बांके ग्राम परेही जुम्मा पुत्र मौहर सिंह कौम मेव सा0 रोश्याका एलोटी, मिन 01/2.43 हैक्टर बाघसिंह पुत्र काले खां मेव सा0 मुसेपुर एलोटी, मिन 01/2.59, इब्राहीम पुत्र टुंडल कौम मेव सा0देह एलोटी मिन 01/0.49 मकबूजा सरकार 1 मिन /2.38, घसीटा व इस्माइल पिसरान माले खां कौम मेव सा0 जुरहरी एलोटी 1 मिन/ 0.70 नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ है। वर्तमान में उक्त आराजी खसरा नम्बर साविक 1 या हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 9.28 हैक्टर बांके ग्राम परेही पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 1/9.28 हैक्टर पर मुताबिक नामा0 संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 का अमल हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 222 पर दर्ज समस्त खातेदार अ0विव0 मालिकान खातेदार के स्थान पर जुम्मा पुत्र मौहर सिंह कौम मेव सा0 रोश्याका एलोटी खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 2.43 हैक्टर बाघसिंह पुत्र काले खां कौम मेव सा0 मुसेपुर ऐलोटी आराजी खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 2.59 हैक्टर, इब्राहीम पुत्र टुंडल कौम मेव सा0 देह एलोटी आराजी खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 0.49 हैक्टर, मकबूजा सरकार 1 मिन रकबा 2.38 हैक्टर घसीटा व इस्माइल पिसरान माले खां कौम मेव सा0 जुरहरी एलोटी खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 1.39 हैक्टर दर्ज किया जाना उचित होगा।

प्राथीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 1 मिन /2.59 हैक्टर बांके ग्राम परेही पर मृत्तक बाघ सिंह पुत्र काले खां जाति मेव निवासी मुसेपुर तहसील कामाँ के वारिसान/प्रार्थीगण के नामों का अंकन नामान्तकरण संख्या 657 के अनुसार नये राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये तथा तहसीलदार जुरहरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 1/9.28 हैक्टर पर मुताबिक नामा0 संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 का अमल हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 222 पर दर्ज समस्त खातेदार अ0विव0 मालिकान खातेदार के स्थान पर जुम्मा पुत्र मौहर सिंह कौम मेव सा0 रोश्याका एलोटी खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 2.43 हैक्टर बाघसिंह पुत्र काले खां कौम मेव सा0 मुसेपुर ऐलोटी आराजी खसरा नम्बर 1 मिन

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

रकबा 2.59 हैक्टर, इब्राहीम पुत्र टुंडल कौम मेव सा0 देह एलोटी आराजी खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 0.49 हैक्टर, मकबूजा सरकार 1 मिन रकबा 2.38 हैक्टर घसीटा व इस्माइल पिसरान माले खां कौम मेव सा0 जुरहरी एलोटी खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 1.39 हैक्टर दर्ज किये जाने की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जुरहरा की मौका रिपोर्ट व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मृत्तक बाघसिंह पुत्र काले खां जाति मेव सा0 मुसेपुर तहसील कामां की विरासत की जाँच कर प्रार्थीगण का नाम नवीन राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावें। तहसीलदार जुरहरा को निर्णय की प्रति नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां, जिला डीग

ntdr.jurhera@rajasthan.gov.in

कार्यालय तहसीलदार – तहसील जुरहरा (डीग) राज०

क्रमांक:- रीडर / 024 / 610

दिनांक:- 4/11/024

रीडर
श्री.फिर्द
8/11/24

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

कामां (डीग)

विषय:- प्रार्थना – पत्र 136 एल आर एक्ट उनवानी रजाक वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जुरहरा में जबाब प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तार्गत निवेदन है कि जाँच रिपोर्ट पटवारी हल्का ऊँचेडा के आधार पर मौका व राजस्व रिकार्ड के अनुसार तहसीलदार जुरहरा ने एल. आर. एक्ट 136 के जरिय माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कामां के यहाँ नामा. स. 657 दिनांक 22-11-2011 ख.न. 1 मिन / 2.59 वाके ग्राम परेही तहसील जुरहरा का हाल जमाबन्दी में अमल हेतु आवेदन किया है । जिनका बिन्दुबार विवरण निम्न प्रकार है ।

1. यह है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067 - 70 के खाता संख्या 111 के अनुसार साबिक आ.ख.न. 1 रकबा 9.28 हैक्ट. रहमत पुत्र माले खां, हिम्मत, जुहरू पिस. बहादुर, दीना, हारून पिस. माले खां, नसरू मोहम्मद खां मुन्शी पिस. इस्माइल, इब्राहीम पुत्र टुंडल वगैरा एलोटी जाति मेव के नाम दर्ज रिकार्ड था ।
2. यह है कि माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 27-07-2011 एवं श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) कामां के आदेश क्रमांक 11/3775 दिनांक 22-11-2011 की पालना में आ. ख. नं. 1/9.28 हैक्ट. के भाग को ख. न. मिन 1 रकबा 2.59 हैक्ट. पर नामा. संख्या 657 दिनांक 22-11-2011 के द्वारा बाघ सिंह पुत्र काले खां कौम मेव सा. मुसेपुर ऐलोटी के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ । उक्त नामा. स. 657 का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2067-70 के खाता सं. 111 पर लाल स्याही से किया गया ।
3. यह है कि माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 17-11-2011 की पालना पर जमाबन्दी संवत 2067-70 के खाता स. 111 पर लाल स्याही से स्थगन का आदेश अंकित किया गया । माननीय उच्च

तहसीलदार
तहसील जुरहरा

ntdr.jurhera@rajasthan.gov.in

न्यायालय पीठ जयपुर के प्रबन्ध विभाग द्वारा दिनांक 17-11-2011 से पूर्व कि स्थिति को बहाल रखा गया अर्थात मिसल बन्दोबस्ती में किसी प्रकार का अमल नही किया गया।

4. यह है कि नामा. स. 657 दिनांक 22-11-2011 के अनुसार आ.ख.न. 1 रकबा 9.28 हैक्ट. वाके ग्राम परेही जुम्मा पुत्र मौहर सिंह कौम मेव सा. रोश्याका एलोटी, मिन 01/2.43 हैक्ट. बाघसिंह पुत्र काले खां मेव सा. मुसेपुर ऐलोटी,मिन 01/2.59, इब्राहीम पुत्र टुंडल कौम मेव सा. देह ऐलोटी मिन 01/0.49, मकबूजा सरकार 1 मिन / 2.38, घसीटा व इस्माइल पिस. माले खां कौम मेव सा. जुरहरी ऐलोटी 1 मिन /0.70 नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है।

5. यह है कि वर्तमान में उक्त आराजी खसरा साबिक 1 या हाल आ.ख.नं. 1 रकबा 9.28 हैक्ट. वाके ग्राम परेही पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

6. यही है कि आ. ख. नं. 1/9.28 पर मुताबिक नामा. सं. 657 दिनांक 22-11-2011 का अमल हाल जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता सं. 222 पर दर्ज समस्त खातेदार अ. विव. मालिकान खातेदार के स्थान पर जुम्मा पुत्र मौहरसिंह कौम मेव सा. रोश्याका ऐलोटी खसरा नं. 1 मिन रकबा 2.43 हैक्ट. बाघसिंह पुत्र काले खां कौम मेव सा. मूसेपुर ऐलोटी आ. ख. नं. 1 मिन रकबा 2.59 हैक्ट. इब्राहीम पुत्र टुंडल कौम मेव सा. देह ऐलोटी आ. ख. नं. 1 मिन रकबा 0.49 हैक्ट. मकबूजा सरकार 1 मिन रकबा 2.38 हैक्ट. घसीटा व इस्माइल पिसरान माले खां कौम मेव सा. जुरहरी ऐलोटी ख. नं. मि. रकबा 1.39 हैक्ट. दर्ज किया जाना उचित है।

रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

तहसीलदार
तहसील जुरहरा